IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - सांचौर (343041)

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 10 | सांचौर, बुधवार, 15 मई 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की सहकारी समितियों में नियुक्त कार्मिकों के मामले में उठी जांच की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

पाली। राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 2017 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों का जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नियमितीकरण, के मामले में जब बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया तो, सहकारिता विभाग ने अपात्र एवं नियम विरुद्ध भर्ती हुए कार्मिकों की जांच करने के लिए राज्य स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया, जिसके पश्चात पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की केन्द्रीय सहकारी बैंक पाली के अधीन संचालित 43 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पिछले समय में नियुक्त व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक की नियुक्ति के साथ-साथ जिन समितियों में स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित हुए अपात्र कार्मिकों की जांच राज्य स्तरीय कमेटी से करवाने के लिए सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो की ओर से कमेटी को गोपनीय पत्र भेजा गया है। जिसके मुताबिक, पिछले सालो में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की 43 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्मिक नियुक्ति के मामले में नियमावली में नियमों को घात बताकर अयोग्यताधारी व्यक्तियों को सहकारी समितियों में नियुक्त कर दिया है। साथ ही, सुत्रो ने पत्र के जरिए तर्क रखा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की सीधी भर्ती के संबंध में सहकारिता विभाग ने 16 अगस्त 2017 के पश्चात राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 में नई धारा 29 (ख) के अनुसार राज्य की सहकारी सोसायटी के कर्मचारियों के चयन और भर्ती की शक्ति सहकारी भर्ती बोर्ड के पास निहित होने के बावजुद सहकारी समितियों में कार्मिकों की नियुक्ति की कर दी गई हैं ।

कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह ?

सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद पर नियुक्ति के मामले में वित्तदाता बैंक की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की कई सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद पर कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति के मामले में सवाल उठाते हुए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, सेवा हस्तांतरण संबंधित नियमों की अवहेलना का पत्र में उल्लेख करते हुए नियम विरुद्ध की गई नियुक्ति की अविलंब जांच करवाकर नियमों के विरुद्ध लगे हुए कार्मिकों को सहकारी समितियों से हटाने की मांग की है।

सहकारी समितियां सेवानिवृत्त के हवाले

सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की गिनी-चुनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों पद से सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति भी सहकारी समितियों का कार्य करते हुए नजर आ रहें है। जबकि सेवानिवृत्ती के पश्चात व्यवस्थापक को पुनः नियुक्ति नहीं करने के रजिस्ट्रार कार्यालय के आदेश सीसीबी में बाबुओं की टेबल तक सीमित होकर रह गए है।

यह थी नियुक्ति की प्रक्रिया

पैक्स/लैपस के व्यवस्थापकों की चयन नियुक्ति एवं सेवा शर्तें 2008 के अनुसार नियुक्ति प्रावधानों की पालना का दायित्व सेवा शर्तों 2008 मे वर्णित चार सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति का था, जिसमें संबंधित बैंक के अध्यक्ष/प्रशासक, युनिट के सहायक/उप रजिस्ट्रार, संबंधित पैक्स/लैपस के अध्यक्ष/प्रशासक सहित संबंधित बैंक के प्रबन्ध निदेशक शामिल होते थे, उक्त चयन समिति द्वारा समय-समय पर पैक्स/लैपस के व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापकों की नियुक्ति की अनुशंषा की जाती थी । और विभाग निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार 21 से 33 वर्ष आयु और बीए तक शिक्षित अयर्थी को समिति निर्धारित मापदण्डो के तहत नियुक्ति दे सकती थी । परन्तु 2017 के बाद से यह अधिकार सहकारी भर्ती बोर्ड के पास हैं ।

फसली सहकारी ऋण वितरण मे उठी बढ़ोतरी की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खरीफ सीजन में वितरित होने वाले अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर केन्द्रीय सहकारी बैक प्रबंध निदेशक को राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई जालोर की ओर से ज्ञापन दिया गया, जिसके मुताबिक, केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से खरीफ सीजन में जिले की सहकारी समितियों को फसली ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत लक्ष्य दिया जाकर ऋणी सदस्यों से शत-प्रतिशत पूर्ति किए जाने के निर्देश दिए गए है। यूनियन जिला अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान भी ऋण में बढ़ोतरी नहीं होने के चलते आंवटित लक्ष्यों के अनुरुप ऋण वसूली और ऋण वितरण में शत-प्रतिशत पूर्ति नहीं हो पाई थी ।

कलाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कलाऊ

किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

देय तिथि पर अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा कर डिफॉल्टर होने से बचें और सीजनली ब्याज मुक्त सहकारी ऋण प्राप्त करने के पात्र बनें

टिपु कुमारी
अध्यक्ष

चन्दाराम चौधरी
व्यवस्थापक

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

सदस्यों एवं किसानों से अपील

साख सीमा का नवीनीकरण 30 जून तक किया जा रहा हैं । साख सीमा नवीनीकरण का आवेदन पत्र समिति से प्राप्त कर उसमें KYC संबंधित दस्तावेज यथा जमाबंदी, आधार कार्ड, मोबाइल नबर, परिचय पत्र, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि संलग्न करके समिति पर जमा करवाएं

फसली सहकारी ऋण साख सीमा नवीनीकरण की प्रति होगी संधारित

जालोर । जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों वितरित होने वाले अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण की साख सीमा का नवीनीकरण किया जा रहा है, सहकारी समितियों द्वारा 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य कृषकों की स्वीकृत की गई अधिकतम साख सीमा का नवीनीकरण 30 जून 2024 तक किया जाएगा । इस संबंध में केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के प्रबंध निदेशक ने सीसीबी की समस्त शाखाओं के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि अल्पावधी फसली सहकारी ऋण की नवीन साख सीमा की एक प्रति शाखा स्तर पर संधारित की जाएं । साथ ही, फसली सहकारी ऋण वितरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए है।

लेनदेन का ब्योरा हटाकर ई-रुपये को बनाया जा सकता है गोपनीय: दास

मुंबई, आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि लेनदेन के ब्योरे को स्थायी रूप से हटाकर ई-रुपये या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को गोपनीय बनाया जा सकता है। इससे यह कागजी मुद्रा के समान हो जाएगी। बीआइएस इनोवेशन सम्मेलन में दास ने कहा कि सीबीडीएस के आफलाइन हस्तांतरण को लेकर भी काम किया जा रहा है। 2022 के अंत में सीबीडीसी की लांचिंग के साथ इसकी गोपनीयता को लेकर चिंता बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि सीबीडीसी से लेनदेन का रिकार्ड तैयार हो जाता है, जबकि कागजी मुद्रा के लेनदेन में गोपनीयता बनी रहती है। आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि कानून या टक्नोलाजी से ई-रुपये की गोपनीयता से जुड़ी चिंता दूर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अभी भी खुदरा लेनदेन में यूपीआइ को प्राथमिकता दी जा रही है।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

-संपादक

किसानों को खरीफ सीजन में वितरित होगा 12 हजार करोड़ का फसली सहकारी ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता विभाग ने प्रदेश के किसानों को खरीफ के लिए ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से वर्ष 2024-25 में राज्य के किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण का लक्ष्य रखा गया है और 30 लाख से अधिक किसानों को इससे लाभान्वित किया जायेगा । खरीफ सीजन के लिए जिलेवार ऋण राशि वितरण के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसमें जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक सर्वाधिक 885 करोड़ रुपए एवं बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक 843 करोड़ रुपए का फसली ऋण का वितरण करेगा। इसी प्रकार जोधपुर में 622 करोड़ रुपए, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ 617-617 करोड़ रुपए, सीकर में 607 करोड़ रुपए, श्रीगंगानर में 592 करोड़ रुपए, भीलवाड़ा एवं अलवर सीसीबी के द्वारा 566-566 करोड़ रुपए तथा झालावाड़ जिले में 483 करोड़ रुपए, पाली जिले में 474 करोड़ रुपए, बीकानेर जिले 437 करोड़ रुपए, झुझुंनू एवं नागौर सीसीबी द्वारा 411-411 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर में 391 करोड़, उदयपुर में 370 करोड़, कोटा में 360 करोड़, जैसलमेर में 329 करोड़, टोंक एवं बूंदी में 319-319 करोड़, अजमेर में 315 करोड़, सवाई माधोपुर में 309 करोड़, बांरा में 267 करोड़, भरतपुर एवं चुरु में 247-247 करोड़ तथा दौसा में 237 करोड़, बांसवाड़ा में 196 करोड़, डूंगरपुर में 149 करोड़ रुपए, इसके अलावा सबसे कम सिरोही में 144 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

आइडीबीआइ बैंक को 2.97 करोड़ का कर मांग आर्डर

नई दिल्लीः आइडीबीआइ बैंक ने बताया कि उसको 2.97 करोड़ रुपये का जीएसटी मांग आर्डर मिला है। इसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल हैं। बैंक का कहना है कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कथित रूप से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर यह मांग आर्डर मिला है। इसमें 1.42 करोड़ रुपये की कर मांग, 1.41 करोड़ रुपये का ब्याज और 0.14 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है।

फर्जी ऋण माफी पर व्यवस्थापक निलबित, 850 किसानों की 6.48 करोड़ की हुई फर्जी ऋण माफी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधीन संचालित दांतीवास एवं पूनासा ग्राम सेवा सहकारी समिति में 6.48 करोड़ रुपए की फर्जी ऋण माफी करने वाले व्यवस्थापक रामलाल सैन को निलंबित करने का आदेश जालोर सीसीबी के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी किया गया है। दरअसल, जिले की पूनासा एवं दांतीवास ग्राम सेवा सहकारी समिति की एक शिकायत पर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर ने जांच करवाई, जिसमें सामने आया था कि पूनासा व दांतीवास जीएसएस में व्यवस्थापक ने 850 से अधिक अपात्र किसानों के नाम से फर्जी लोन उठा कर उनकी ऋणमाफी भी करवा दी, यह ऋण माफी वर्ष 2018 व 2019 में फसली ऋण माफी योजना के तहत की गई थी। विभाग ने इस मामले में जांच की, जांच में दोनों ही समितियों में कुल 6 करोड़ 48 लाख 34 हजार 656 रुपए का घोटाला सामने आया था और इसमें व्यवस्थापक रामलाल सैन को इस घोटाले का आरोपी माना था। उसके विरुद्ध भीनमाल थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले के अनुसार रामलाल सैन ने पूनासा ग्राम सेवा सहकारी समिति में वर्ष 2018 व 2019 में कुल 3 करोड़ 76 लाख 23 हजार 523 रुपए का फर्जीवाड़ा किया और दांतीवास ग्राम सेवा सहकारी समिति में कुल 2 करोड़ 72 लाख 11 हजार 133 रुपए का फर्जीवाड़ा कर राजकोष को हानि पहुंचाई है।

मामला जालोर जिले की पूनासा व दांतीवास ग्राम सेवा सहकारी समिति का हैं, जिसमें उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर की जांच के बाद सामने आया फर्जीवाड़ा, अब सीसीबी प्रबंध निदेशक की ओर से व्यवस्थापक को आरोपी मानते हुए किया गया निलंबित

रिकार्ड मुनाफे से शीर्ष सरकारी बैंक मालामाल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली ; देश के दो शीर्ष सरकारी बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और पंजाबनैशनल बैंक) ने पिछले वित्त ा वर्ष की अंतिम तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के वित्तीय परिणाम जारी किए। इससे पता चलता है कि नासिर्फ इन्होंने अपने फंसे कर्ज की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया है बल्कि इनका मुनाफा भी खूब बढ़ा है।

2023-24 के दौरान एसबीआइ का शुद्ध लाभ 61,077 करोड़ रुपये (21.59 प्रतिशत की वृद्धि) और पीएनबी का लाभ 8,245 करोड रुपये (229 प्रतिशत) और केनरा बैंक का शुद्ध मुनाफा 14,544 करोड़ रुपये (37.25 प्रतिशत ज्यादा) रहा है। यह इन बैंकों का अभी तक का रिकार्ड मुनाफा है। उक्त तीनों बैंकों ने अतिरिक्त लाभांश का एलान किया है। बैंकों का मुनाफा असलियत में वर्ष 2021-22 से सुधरना शुरू हुआ है। एक तो देश में कर्ज की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, भारतीय एसबीआइ का लाभ 21त्न तो पीएनवी का शुद्ध मुनाफा 229 प्रतिशत बढ़ा, दोनों बैंकों का एनपीए एक प्रतिशत से नीचे बैंकिंग सेक्टर में फंसे कर्ज यानी एनपीए (नान-परफार्मिंग एसेट्स) की समस्या काफी हद तक काबू में आ गई है। तीसरा, दिवालिया कानून की वजह से पुराने कर्ज की वसूली तेज हुई है। साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार में भी बैंक कमाई कर रहे हैं। पीएनबी और एसबीआइ दोनों की तरफ से बताया गया है कि उनके एनपीए का स्तर घटकर एक प्रतिशत से नीचे आ गया है और चालू वित्त ा वर्ष के दौरान इसमें और कमी संभव है। एसबीआइ का एनपीए अब घटकर 0.57 प्रतिशत (कुल अग्रिम के अनुपात में डूबा कर्ज जबकि पीएनबी का 0.73 प्रतिशत रह गया है। केनरा बैंक का एनपीए 1.27 प्रतिशत है।

जीएसएस में संपन्न हुई व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के संबंध में मांगी सूचना

- सहकारिता विभाग की ओर से गठित राज्य स्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष ने सीसीबी के प्रबंध निदेशकों से मांगी स्क्रीनिंग के संबंध सूचना
- सीसीबी और समिति से संतोषजनक सेवा का देना होगा प्रमाण पत्र
- सीसीबी से लेन-देन के लिए अधिकृत किए जाने की तारीख का देना होगा विवरण
- अगर सेवा नियमों के तहत दण्डित किया गया हो, तो उसका देना होगा विवरण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां में संपन्न हुई स्क्रीनिंग प्रक्रिया की सूचना समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक से राज्य स्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर द्वारा 7 दिवस में मांगी गई है। जिसमें सहकारी समिति का नाम, सहकारी समिति की पंजीकरण संख्या, कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम, स्क्रीनिंग से पूर्व धारित पद (सहायक व्यवस्थापक/व्यवस्थापक), सहकारी समिति बीओडी एवं एजीएम में नियुक्ति की दिनांक, नियुक्ति के समय आयु, नियुक्ति के समय शैक्षिणक योग्यता, स्क्रीनिंग के समय शैक्षिणक योग्यता, बैंक द्वारा लेन-देन के लिए अधिकृत किए जाने की दिनांक, स्क्रीनिंग के समय आयु, स्क्रीनिंग के लिए बीओडी एवं एजीएम में प्रस्ताव लिए जाने की दिनांक, बैंक एवं सहकारी समिति द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र की सूचना, इसके अलावा अगर सेवा नियमों के तहत दण्डित किया गया हो, तो उसका विवरण, वही, कार्मिक के विरुद्ध सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 55 के जांच परिणाम या लम्बित, धारा 57 का निर्णय या प्रकरण लम्बित की जानकारी मांगी है। इसी तरह अगर किसी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण किसी धारा के तहत दर्ज हो तो उसका विवरण के साथ-साथ समिति में मुख्य कार्यकारी का पद रिक्त होने की दिनांक की भी सूचना मांगी गई है।

क्या समिति वेतन के लिए सक्षम?

राज्य स्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा बिन्दुवार सूचना मांगी गई है, जिसमें क्या समिति व्यवस्थापक को वेतन भुगतान करने के लिए सक्षम है क्या अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में स्क्रीनिंग का लाभ प्राप्त किया अथवा नहीं, क्या उसी समिति में स्क्रीनिंग की गई, जिस हेतु आवेदन किया गया हैं, तो उसका विवरण भी उपलब्ध कराना होगा ।

ऑडिट रिपोर्ट की सूचना

ऑडिट रिपोर्ट वर्षवार मांगी गई है, जिसमें कर्मचारी का नाम अंकित हो, वही अगर एक से अधिक समिति में कार्य अनुभव को सम्मिलित किया गया हैं, तो उक्त पृथक-पृथक समितियों ऑडिट रिपोर्ट वर्ष का विवरण सहित संबंधित अंश प्रति की विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां से प्रमाणित प्रति भी मांगी है।

कब से दिया जा रहा हैं वेतन ?

राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा बिन्दुवार मांगी गई सूचना में समिति से किस दिनांक से वेतन भुगतान किया जा रहा हैं, वही, अगर एक से अधिक समितियां द्वारा वेतन भुगतान किया जा रहा हैं, तो उक्त भुगतान संबंधी पृथक-पृथक विवरण सहित उपस्थिती पंजिका की प्रति व वेतन भुगतान स्टेंटमेंट की संबंधित प्रबंध निदेशक द्वारा समिति की रोकड़ पुस्तिका में मिलान कर प्रमाणित प्रति भी मांगी है।

कार्य अनुभव की गणना

डी फैक्टो मुख्य कार्यकारी के रुप में कार्य अनुभव की गणना की भी रिपोर्ट मांगी गई है, वही अगर एक से अधिक समिति में कार्य अनुभव की गणना हैं, तो उक्त समितियों का नाम व कार्यानुभव संबंधी पृथक-पृथक विवरण सहित समितियों के परस्पर सहमति प्रस्ताव एवं उस प्रस्ताव की उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा अनुमोदन की प्रति भी मांगी गई है।

बैंक कार्य व्यवधान की स्थिति में की जाएगी कार्यवाही की अनुशंषा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नागौर । जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में निर्वाचित समिति अध्यक्ष एवं संचालक बोर्ड सदस्य अब बैंक कार्य के लिए ही बैंक में उपस्थित हो सकेंगे । इस संबंध में केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर के प्रबंध निदेशक ने एक आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक, जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं संचालक बोर्ड सदस्यों द्वारा अनावश्यक रुप से व्यवस्थापक के खिलाफ कार्यवाही को लेकर बैंक कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। जिसके चलते सीसीबी प्रबंध निदेशक की ओर समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि संबंधित समिति अध्यक्ष एवं संचालक बोर्ड सदस्यों को पाबन्द किया जाए कि बैंक कार्य के लिए ही बैंक में उपस्थित हो, अन्यथा बैंक कार्य में व्यवधान होने की स्थिति में उनके विरूद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर पर अनुशंषा की जाएगी ।

अर्थव्यवस्था मजबूत करते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है. आजादी के समय भारत का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 2.7 लाख करोड़ रूपये का था, जो वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 41.74 लाख करोड़ रुपये का हो गया. इस उपलब्धि को हासिल करने में मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अहम भूमिका रही है. आजादी से पहले देश में निजी कंपनियों की भरमार थी, लेकिन वे खुद का विकास करने में मशगूल थे. कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अपेक्षित विकास नहीं हुआ था. कुछ क्षेत्र अत्यंत पिछड़े थे, जैसे- आधारभूत संरचना व शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं. चूंकि निजी क्षेत्र सुधारात्मक पहल नहीं कर रहे थे, इसलिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को मूर्त रूप दिया और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की, ताकि एक निश्चित समय में समावेशी विकास की संकल्पना को साकार किया जा सके. देश में मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियों की स्थापना की गयी और इनकी वित्तीय जरूरतों को पोषित करने, आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने, वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया. आजादी के समय देश में लगभग 11 सौ छोटे-बड़े निजी बैंक थे, जिनका मुख्य मकसद मुनाफा कमाना था. सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए मुनाफा कमाने और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण एक जुलाई 1955 को किया गया, जबकि अन्य बैंकों का 1969 और 1980 में. साल 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, जिनकी संख्या समेकन के बाद अप्रैल 2020 में घटकर 12 हो गयी. बैंक कॉरपोरेट, आधारभूत संरचना, जैसे- सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कृषि प्रसंस्करण, रेल कारखाना, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों, कृषि व संबद्ध क्षेत्र, जैसे- पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्त पोषण का काम कर रहे हैं. बैंक ग्रामीणों को बैंक से जोड़ने, महिलाओं का सशक्तीकरण करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने जैसे काम भी कर रहे हैं. जनवरी 2023 तक भारत में 12 महारत्न, 13 नवरत्न कंपनियां और 62 मिनीरत्न कंपनियां थीं. आर्थिक रूप से मजबूत और मुनाफे वाली कंपनियां होने के कारण ये कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है. सीपीएसई को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय नियंत्रित करता है तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करता है. वित्त वर्ष 1996-97 में सार्वजनिक क्षेत्र की वैसी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, जो पहले से मिनी रत्न कंपनियों में वर्गीकृत थीं और उनके प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा था. सरकार को लग रहा था कि अगर इन्हें नवरत्न का दर्जा देकर कुछ और विशेष अधिकार एवं वित्तीय स्वायत्तता दी जाए, तो इनका प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है. आज मिनीरत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं. इनकी वजह से विकास को गति मिल रही है.

पशु जीवन के साथ भी हो गरिमापूर्ण व्यवहार

-डॉ. सत्यवान सौरभ
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

"पशु क्रूरता में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण कार्य और कम स्पष्ट स्थितियां शामिल हैं, जहां किसी जानवर की जरूरतों की उपेक्षा की जाती है।"

पशु क्रूरता में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण कार्य और कम स्पष्ट स्थितियां शामिल हैं, जहां किसी जानवर की जरूरतों की उपेक्षा की जाती है। जानवरों के खिलाफ हिंसा को आपराधिक हिंसा और घरेलू दुर्व्यवहार की उच्च संभावना से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 में अधिकार केवल मनुष्यों को प्रदान किया गया है, लेकिन जीवन शब्द के विस्तारित अर्थ में अब बुनियादी पर्यावरण में गड़बड़ी के खिलाफ अधिकार शामिल है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि पशु जीवन के साथ भी आंतरिक मूल्य, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान केवल मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन जीवन शब्द का अर्थ आज केवल अस्तित्व से कहीं अधिक समझा जाता है, इसका मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें अन्य बातों के अलावा एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति देता है। दंड संहिता में संशोधन करके जानवरों को अनावश्यक दर्द या कष्ट देने और जानवरों को मारने या गंभीर रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए सजा बढ़ा दी गई। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अपवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता होने पर उसे मार डालने की चर्चा की गई है, ताकि उसे आगे की पीड़ा से राहत मिल सके। अधिनियम का विधायी इरादा जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकना है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की

स्थापना 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी। यह अधिनियम जानवरों पर अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है। पहले अपराध के मामले में, जुर्माना जो दस रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले अपराध के तीन साल के भीतर किए गए दूसरे या बाद के अपराध के मामले में जुर्माना पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा। जिसे एक सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या तीन महीने तक की कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जानवरों पर प्रयोग से संबंधित दिशा- निर्देश प्रदान करता है। यह अधिनियम प्रदर्शन करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी और प्रदर्शन करने वाले जानवरों के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित प्रावधानों को स्थापित करता है। प्रतिशोध (किए गए अपराध का बदला लेने के लिए दी गई सजा) निवारण (अपराधी और आम जनता को भविष्य में ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए दी गई सजा), सुधार या पुनर्वास (अपराधी के भविष्य के व्यवहार को सुधारने और आकार देने के लिए दी गई सजा) कानून का खराब कार्यान्वयन और इसके द्वारा निर्धारित कम दंड से पीसी अधिनियम अत्यंत अप्रभावी प्रतीत होता है। अधिनियम के तहत अधिकांश अपराध जमानती हैं (आरोपी अधिकार के तौर पर पुलिस से जमानत मांग सकता है) गैर-संज्ञेय जिसका अर्थ है कि पुलिस स्पष्ट अनुमति के बिना न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है और न ही जांच कर सकती है या गिरफ्तारी कर सकती है। पीसीए अधिनियम के तहत जुर्माने के रूप में निर्धारित राशि वही है जो इसके पूर्ववर्ती, पीसीए अधिनियम 1890 में निर्धारित है। जुर्माना महत्वहीन है (कई मामलों में 10 से कम) क्योंकि 130 से अधिक वर्षों में उनमें संशोधन नहीं हुआ है। कानून को इस तरह से लिखा गया है कि मामले से निपटने वाली अदालत को आरोपी पर कारावास या जुर्माना लगाने के बीच चयन करने का विवेक है। यह पशु क्रूरता के अपराधियों को अधिकांश मामलों में केवल जुर्माना अदा करके पशु क्रूरता के सबसे क्रूर रूपों से बच निकलने की अनुमति देता है। कानून में स्वयं सामुदायिक सेवा के लिए कोई प्रावधान नहीं है जैसे कि सजा के रूप में पशु आश्रय में स्वयंसेवा करना, जो संभावित रूप से अपराधियों को सुधार सकता है। जानवरों के लिए पांच मौलिक स्वतंत्रताओं का समावेश, दंडों में वृद्धि और विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि, नए संज्ञेय अपराधों को जोड़ना, मसौदा विधेयक में पशु क्रूरता के मामले से निपटने वाली अदालत के लिए दो विकल्पों के रूप में कारावास और जुर्माने का प्रावधान जारी रखा गया है। पशुओं को मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) व्यक्तियों को दिए गए हैं। व्यक्ति का अर्थ है मनुष्य या मनुष्यों के संघ, जैसे निगम, साझेदारी, ट्रस्ट आदि अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्ल में सुधार करना, अनुच्छेद 48, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए अधिनियम), 1960 जानवरों के प्रति क्रूरता का कारण बनने वाले कई प्रकार के कार्यों को अपराध मानता है।

जल-संकट : जीवन एवं कृषि खतरे में

मानवीय गतिविधियों और क्रिया-कलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इससे जलवायु में होता जा रहा परिवर्तन। जो मानव जीवन के हर पहलू के साथ जलाशयों एवं नदियों के लिए खतरा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन का खतरनाक प्रभाव गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रसहित प्रमुख जलाशयों और नदी घाटियों में कुल जल भंडारण पर खतरनाक स्तर पर महसूस किया जा रहा है, जिससे लोगों को गंभीर जल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते इसी जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल 2024 तक देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में उनकी भंडारण क्षमता के अनुपात में तीस से पैंतीस प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हाल के वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट है। जो सूखे जैसी स्थिति की ओर इशारा करती है। जिसके मूल में अल नीनो घटनाक्रम का प्रभाव एवं वर्षा की कमी को बताया जा रहा है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव एवं जीव-जन्तुओं के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये भी बेहद आवश्यक है। परंतु आज भारत गंभीर जल-संकट के साए में खड़ा है। अनियोजित औद्योगीकरण, बढ़ता प्रदूषण, घटते रेगिस्तान एवं ग्लेशियर, नदियों के जलस्तर में गिरावट, वर्षा की कमी, पर्यावरण विनाश, प्रकृति के शोषण और इनके दुरुपयोग के प्रति असंवेदनशीलता भारत को एक बड़े जल संकट की ओर ले जा रही है। भारत भर में 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर वर्तमान में 31 प्रतिशत है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसके 42 जलाशय वर्तमान में केवल 17 प्रतिशत क्षमता पर हैं। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई सबसे कम जल क्षमता का प्रतीक है। स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी चिंताजनक है, पश्चिम में 34 प्रतिशत और उत्तर में 32.5 प्रतिशत जलाशय क्षमता है। पूर्वी और मध्य भारत की स्थिति बेहतर हैं, उनके पास अपने जलाशयों की सक्रिय क्षमता का क्रमश; 40.6 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है, पिछले वर्ष वर्षा कम थी, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, 2023 का मानसून असमान था, क्योंकि यह अल नीनो वर्ष भी था, एक जलवायु पैटर्न जो आम तौर पर इस क्षेत्र में गर्म और शुष्क परिस्थितियों का कारण बनता है। इससे काफी चिंता पैदा हुई है। लंबे समय तक पर्याप्त बारिश न होने के कारण जल भंडारण में यह कमी आई है। जिसके चलते कई क्षेत्रों में सूखे जैसे और असुरक्षित हालात पैदा हो गये हैं। जिससे विभिन्न फ सलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि देश की आधी कृषि योग्य भूमि आज भी मानसूनी बारिश के निर्भर है। ऐसे में सामान्य मानसून की स्थिति पर कृषि का भविष्य पूरी तरह निर्भर करता है। वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बेंगलुरु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। जिसका असर न केवल कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसी आसन्न संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के प्रयास घरों से लेकर तमाम कृषि पद्धतियों और औद्योगिक कार्यों तक में तेज करने की जरूरत है। आबादी में वृद्धि के साथ पानी की खपत बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन पृथ्वी पर साफ पानी की मात्रा कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और धरती के बढ़ते तापमान ने इस समस्या को गंभीर संकट बना दिया है। दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट का सामना कर रहा है। वैश्विक जनसंख्या का 18 प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है, लेकिन चार प्रतिशत जल संसाधन ही हमें उपलब्ध है। भारत में जल-संकट की समस्या से निपटने के लिये प्राचीन समय से जो प्रयत्न किये गये है, उन्हीं प्रयत्नों को व्यापक स्तर पर अपनाने एवं जल-संरक्षण क्रांति को घटित करने की अपेक्षा है। हमारे यहां जल बचाने के मुख्य साधन हैं नदी, ताल एवं कूप। इन्हें अपनाओं, इनकी रक्षा करो, इन्हें अभय दो, इन्हें मरुस्थल के हवाले न करो। गांव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिये। उचित रख-रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाकर या उनका जीर्णोद्धार करके बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। धरती के क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है। परंतु, पीने योग्य जल मात्र तीन प्रतिशत है। इसमें से भी मात्र एक प्रतिशत मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं।

केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते इसी जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल 2024 तक देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में उनकी भंडारण क्षमता के अनुपात में तीस से पैंतीस प्रतिशत की गिरावट आई है।

ललित गर्ग
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आखिर कब तक मजबूर रहेगा मजदूर

गांव में खेती के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। इस कारण बड़ी संया में लोग मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जहां ना उनके रहने की कोई सही व्यवस्था होती है ही उनको कोई ढ़ग का काम मिल पाता है। मगर आर्थिक कमजोरी के चलते शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग जैसे तैसे कर वहां अपना गुजर-बसर करते हैं।

मजदूर एक ऐसा शब्द है जिसके बोलने में ही मजबूरी झलकती है। सबसे अधिक मेहनत करने वाला मजदूर आज भी सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां मजदूरों की स्थिति में सुधार हो पाया है। श्रमिक अपना श्रम बेचकर न्यूनतम वेतन प्राप्त करता है। यही कारण है कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसलिए यह दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए है। इस प्रकार, यह समाज में उनके योगदान की सराहना करने और उसे पहचानने का एक विशेष दिन हैं। भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों में एक मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य उस दिन मजदूरों की भलाई के लिए काम करने व मजदूरों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाना होता है। मगर आज तक तो कहीं ऐसा हो नहीं पाया है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति करने का प्रमुख भार मजदूर वर्ग के कंधों पर ही होता है। मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत के बल पर ही राष्ट्र तरक्की करता है। लेकिन भारत का श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। हमारे देश में मजदूरों का शोषण आज भी जारी है। समय बीतने के साथ मजदूर दिवस को लेकर श्रमिक तबके में अब कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने भी मजदूरों के उत्साह का कम कर दिया है। अब मजदूर दिवस इनके लिए सिर्फ कागजी रस्म बनकर रह गया है। मजदूर दिवस दुनिया के सभी कामगारों, श्रमिकों को समर्पित होता है। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 की थीम है सामाजिक न्याय और सभी के लिए सभ्य कार्य। इसके अलावा भी कई बिंदुओं को रखा गया है। इस थीम का उद्देश है मज़दूरों की गरिमा का ख्याल रखना और उन्हें शांतिपूर्ण कामकाजी वातावरण प्रदान करना। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश की तरक्की उस देश के कामगारों और किसानों पर निर्भर करती है। उद्योगपति खुद को मालिक समझने की बजाय अपने-आप को ट्रस्टी समझे। मगर ऐसा होता नहीं है। मालिक आज भी मालिक बने हुये हैं। मजदूर सिर्फ मजबूर होकर रह गया है। इसी कारण भारत में मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं है। हमारे देश की सरकार भी मजदूर हितों के लिए बहुत बातें करती है। बहुत सी योजनाएं व कानून बनाती है। मगर जब उनको अमलीजामा पहनाने का समय आता है तो सब इधर-उधर ताकने लग जाते हैं। मजदूर फिर बेचारा मजबूर बनकर रह जाता है। गुरु नानक देव जी ने भी अपने समय में किसानों, मजदूरों और कामगारों के हक में आवाज उठाई थी। गुरु नानक देव जी ने 'काम करना, नाम जपना, बांट छकना और दसवंध निकालना का संदेश दिया था। गरीब मजदूर और कामगार का विनम्रता का राज स्थापित करने के लिए मनमुख से गुरमुख तक की यात्रा करने का संदेश दिया था। मजदूर एक ऐसा शब्द है जिसके बोलने में ही मजबूरी झलकती है। सबसे अधिक मेहनत करने वाला मजदूर आज भी सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां मजदूरों की स्थिति में सुधार हो पाया है। दुनिया के सभी देशों की सरकार मजदूरों के हित के लिए बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करती हैं मगर जब उनकी भलाई के लिए कुछ करने का समय आता है तो सभी पीछे हट जाती है। इसीलिए मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। भारत में एक मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में एक मई 1923 को मद्रास दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया गया था। इस की शुरुआत भारती मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्यार ने शुरू की थी। भारत में मद्रास के हाईकोर्ट सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया और एक संकल्प के पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाये और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाये। वर्तमान में भारत समेत लगभग 80 मुल्कों में पहली मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। हमारे देश केमजदूरों को न तो मालिकों द्वारा किए गए कार्य की पूरी मजदूरी दी जाती है और ना ही अन्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। गांव में खेती के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जहां ना उनके रहने की कोई सही व्यवस्था होती है ही उनको कोई ढ़ग का काम मिल पाता है। मगर आर्थिक कमजोरी के चलते शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग जैसे तैसे कर वहां अपना गुजर-बसर करते हैं। बड़े शहरों में झोंपड़ पट्टी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां रहने वाले लोगों को कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करता है। इसको देखने की न तो सरकार को फुर्सत है ना हीं किसी राजनीतिक दलों के नेताओं को। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को शौचालय जाने के लिए भी घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। झोपड़ पट्टी बस्तियों में ना रोशनी की सुविधा रहती है। ना पीने को साफ पानी मिलता है और ना ही स्वच्छ वातावरण। शहर के किसी गंदे नाले के आसपास बसने वाली झोपड़ पट्टियों में रहने वाले गरीब तबके के मजदूर कैसा नारकीय जीवन गुजारते हैं। उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मगर इसको अपनी नियति मान कर पूरी मेहनत से अपने मालिकों के यहां काम करने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों के मन में जरा भी सहानुभूति के भाव नहीं रहते हैं। उनसे 12-12 घंटे लगातार काम करवाया जाता है। घंटो धूप में खडे रहकर बड़ी बड़ी कोठियां बनाने वाले मजदूरों को एक छप्पर तक नसीब नही हो पाता है। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा काई प्रताड़ित व उपेक्षित है तो वो मजदूर वर्ग है। मजदूरो की सुनने वाला देश में कोई नहीं हैं। कारखानो में काम करने वाले मजदूरो पर हर वक्त इस बात की तलवार लटकती रहती है कि ना जाने कब मालिक उनकी छटनी कर काम से हटा दे। कारखानो में कार्यरत मजदूरों से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। विरोध करने पर काम से हटाने की धमकी दी जाती है। मजबूरी में मजदूर कारखाने के मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर होता है। कारखानो में श्रम विभाग के मापदण्डो के अनुसार किसी भी तरह की कोई सुविधायें नहीं दी जाती है। कई कारखानों में तो मजदूरों से खतरनाक काम करवाया जाता है जिस कारण उनको कई प्रकार की बिमारियां लग जाती है। कारखानों में मजदूरो को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, पीने का साफ पानी, विश्राम की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवायी जाती है। मालिको द्वारा निरंतर मजदूरों का शोषण किया जाता है। मगर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये बनी मजदूर यूनियनो को मजदूरो की बजाय मालिको की ज्यादा चिंता रहती है। हालांकि कुछ मजदूर यूनियने अपना फर्ज भी निभाती है मगर उनकी संख्या कम है। हमारे देश का मजदूर दिन प्रतिदिन और अधिक गरीब होता जा रहा है। दिन रात रोजी-रोटी के जुगाड़ में जद्दोजहद करने वाले मजदूर को तो दो जून की रोटी मिल जाए तो मानों सब कुछ मिल गया। आजादी के इतने सालो में भले ही देश में बहुत कुछ बदल गया होगा। लेकिन मजदूरों के हालात तो आज भी नहीं बदले हैं तो फिर श्रमिक वर्ग किस लिये मजदूर दिवस मनाये। हर बार मजदूर दिवस के अवसर पर सरकारे मजदूरो के हित की योजनाओं के बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करती है। जिनमें मजदूरों के हितों की बहुत सी बाते लिखी होती हैं। किन्तु उनमें से अमल किसी बात पर नहीं हो पाता है। देश में सभी राजनीतिक दलों ने अपने यहां मजदूर संगठन बना रखे हैं। सभी दल दावा करते हैं कि उनका दल मजदूरो के भले के लिये काम करता है। मगर ये सिर्फ कहने सुनने में ही अच्छा लगता है हकीकत इससे कहीं उलटी हैं।

- रमेश सर्राफ धमोरा
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सौर ऊर्जा में प्रगति

स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आने लगे हैं. वर्ष 2023 में दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पर रहा. इस उपलब्धि के महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2015 में हमारे देश का स्थान नौवां था. ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक गतिविधियों का अध्ययन करने वाले संस्थान एंबर की ताजा रिपोर्ट में उन 80 देशों के उत्पादन का संज्ञान लिया गया है, जो दुनिया में बिजली की कुल मांग के 92 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसके अलावा 215 देशों के ऐतिहासिक आंकड़ों को भी अध्ययन में शामिल किया गया है. पिछला वर्ष स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के मामले में पूरे विश्व के लिए संतोषजनक रहा है. सौर ऊर्जा की बात करें, तो इसने वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में 5.5 प्रतिशत का योगदान किया है. भारत में यह आंकड़ा 5.8 प्रतिशत रहा है. इस बढ़त से इंगित होता है कि बहुत सारे देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने तथा उत्सर्जन घटाने की दिशा में सि य हैं. भारत की इसमें अग्रणी भूमिका है. उत्पादन में जहां भारत बीते साल तीसरे स्थान पर रहा है, वहीं ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा जोड़ने के मामले में चौथे स्थान पर आ गया है. स्थापित क्षमता के लिहाज से हम पांचवें पायदान पर हैं. इस सूची में भारत से पहले चीन, अमेरिका और ब्राजील हैं. केवल इन चार देशों ने 2023 में दुनिया के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में 75 प्रतिशत का योगदान किया है. भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है. ग्लासगो जलवायु समेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य के स्तर पर लाने के भारत के संकल्प को रेखांकित किया था. इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अनेक नीतिगत पहल भी किया है. स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2014 से अब तक उत्पादन में 30 गुना वृद्धि हुई है.

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत राजफैड़ द्वारा गेहूँ 22900 मै.टन खरीद

योजना का लाभ

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य गेहूँ खरीद योजना में दी गई छूट का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल सके।

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती शुचि त्यागी ने प्रदेश में चल रही समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद प्रक्रिया, किसानों को समय पर भुगतान, फील्ड में खरीद की सतत मोनेटरिंग एवं खरीद की गति को बढाने के लिये समीक्षा की। उन्होंने समर्थन मूल्य पर विक्रय करने वाले सभी किसानों को निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करने के लिये निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी विक्रय केन्द्रों की सतत मोनेटरिंग सुनिश्चित की जावे ताकि जो भी किसान समर्थन मूल्य पर गेहूँ का विक्रय करना चाहता है, को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होनें निर्देश दिये कि प्रदेश में गर्मी के मौसम को देखते हुये सभी खरीद केन्द्रों पर पर्याप्त छाया एवं पानी की व्यवस्था भी की जावे तथा खरीद की गति को बढायें। उन्होंने निर्देश दिये कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य गेहूँ खरीद योजना में दी गई छूट का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल सके। रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती अर्चना सिंह ने बताया कि राजफैड़ द्वारा अब तक 2799 किसानों से 22 हजार 900 मै.टन से अधिक गेहूँ की खरीद राशि लगभग 55 करोड़ रुपये की गई है। भारत सरकार द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है एवं राज्य सरकार द्वारा 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया जा रहा है। इस प्रकार किसान को गेहूँ का 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसान के खाते में ऑनलाईन प्रक्रियानुसार भुगतान किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक, राजफैड श्री नारायण सिंह ने बताया कि खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न मौसमी कारणों को ध्यान में रखते हुये दिनांक 23 अप्रेल को पत्र जारी कर गेहूँ के गुणवत्ता मापदण्डों में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अपरिपक्व एवं टूटे-सिकुडे हुए दाने के गेहूँ की अधिकतम सीमा 6 प्रतिशत निर्धारित थी जिसे अब 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है तथा गेहूँ की चमक की सीमा 70 प्रतिशत तक स्वीकार्य है। श्री सिंह ने बताया कि कुछ किसानों की ऑनलाईन गिरदावरी में गेहूँ के जगह अन्य जिन्स जैसे सरसों, चना इत्यादि अंकित हो गया है तो ऐसे किसानों को दिनांक 22 अप्रेल को पत्र जारी कर खाद्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राहत प्रदान की गई है। अब ऐसे किसान पटवारी प्रमाणित ऑफलाईन गिरदावरी लाकर अपनी गेहूँ की उपज को क्रय केन्द्रों पर लाकर समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकते है। राज्य में गेहूँ खरीद से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु हैल्पलाईन नम्बर 18001806030 स्थापित किया हुआ है। जहॉ किसान खरीद संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते है

आरबीआइ के नए नियम से बैंक असहज

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

- केनरा बैंक के सीएमडी ने पूछा- आखिर समायोजन की अधिकतम राशि क्या होनी चाहिए
- केंद्रीय बैंक के नए नियम से पीएफसी और आरईसी पर ज्यादा बोझ पड़ने की आशंका

नई दिल्ली ; परियोजनाओं को कर्ज देने की मौजूदा नीति में बदलाव करने के आरबीआइ के प्रस्ताव से देश का बैंकिंग सेक्टर काफी असहज है। बैंकों ने इस बारे में आरबीआइ से और ज्यादा स्पष्टीकरण की मांग की है और यह इच्छा भी जताई है कि संबंधित प्रस्ताव को लागू करने से पहले उनके साथ विस्तार से विमर्श किया जाएगा। बैंक, एनबीएफसी, सहकारी बैंक समेत हर तरह के वैसे वित्तीय संस्थान जो परियोजनाओं को कर्ज देते हैं, को कुल वितरित कर्ज का पांच प्रतिशत अतिरिक्त राशि का समायोजन एक विशेष खाते में करना होगा। इससे इनकी कर्ज देने की लागत के बढ़ने की संभावना रही है। सरकारी क्षेत्र की वित्तीय कंपनियों जैसे पीएफसी और आरईसी पर बोझ पड़ने की आशंका है। साथ ही बैंकों के लिए कर्ज की लागत में भी वृद्धि होने की बात कही जा रही है। केनरा बैंक के सीएमडी और सीईओ के सत्यनारायण राजू का कहना है, हमें प्रस्तावित नियमों को लेकर और ज्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत है। इसमें समायोजन की अधिकतम राशि क्या होनी चाहिए, इसको स्पष्ट करने की जरूरत है। वैसे इस प्रस्ताव से केनरा बैंक पर अतिरिक्त वित्तीय असर पड़ने की संभावना नहीं है। वह केनरा बैंक के वित्तीय परिणाम जारी करने के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं को उनके बैंक ने कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया है। अगर आरबीआइ का प्रस्तावित नियम लागू हो जाता है तो बैंक को 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का समायोजन करना पड़ सकता है।

समायोजन की राशि बैंक अपने मुनाफे से करते हैं। कुछ दूसरे बैंकों से भी बात की है और उन्होंने भी कहा है कि इस बारे में भारतीय बैंक संघ (आइबीए- बैंकों का संगठन) की तरफ से आरबीआइ व वित्त मंत्रालय से बात की जाएगी। आरबीआइ के नए नियम से कई बैंक असहज हैं।

किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

किसानों को कृषि अनुदान से वंचित रखने पर ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यों ने जताया रोष

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

शेरगढ़ ; ग्राम सेवा सहकारी समिति शेरगढ़ की बैठक केवलचंद चौपड़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद ऋणी सदस्यों ने रोष जताया कि उन्होंने गत साल खरीफ फसल का बीमा करवाया था लेकिन पटवारी द्वारा सही गिरदावरी नहीं किए जाने के कारण उन्हें कृषि अनुदान से वंचित रख दिया गया। इस दौरान किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। अध्यक्ष चौपड़ा ने कहा कि शेरगढ़ असिंचित क्षेत्र हैं, जहां 60 फीसदी खरीफ फसल का खराबा हुआ था जिस पर उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन देकर कृषि अनुदान दिलाने की मांग की थी लेकिन अभी तक अनुदान नहीं मिल पाया है। तहसीलदार ने आश्वासन दिया था कि सरपंच व गांव के मौजूद लोगों की मौजूदगी में गिरदावरी करवाकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा जीएसएस शेरगढ़ को ट्रैक्टर सुलभ कराया गया है तथा बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी व्यवस्था भी है। ग्राम सेवा सहकारी समिति शेरगढ़ में 840 ऋणी व 564 अऋणी सदस्य हैं। शेरगढ़ के 90 फिसदी किसानों से ऋण वसूली हो गई है। पूर्व अध्यक्ष पुखराज जैन ने कहा कि सरकारी मशीनरी सही काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से शेरगढ़ में भयंकर अकाल होने के बावजूद गिरदावरी सही नहीं की गई है तथा किसानों को कृषि अनुदान से वंचित रख दिया गया है। नरपतसिंह ने कहा कि समय पर गिरदावरी की रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। शेरगढ़ तहसील को पीछे रखा गया है। बीमा क्लेम लेने के लिए शेरगढ़ के किसान आंदोलन करेंगे। बैठक को जीएसएस व्यवस्थापक वीरेंद्रसिंह सेड़ेसा, जगदीश परमार, रामगढ़ के सरपंच मूलाराम, ललित प्रजापत, नारायणसिंह महेचा ने भी संबोधित करते हुए विभिन्न जानकारियां साझा की। संचालन मगसिंह चौहान ने किया। इस दौरान जीएसएस के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य विशनाराम गोयल, उगमसिंह, गंगाराम परमार व भंवरलाल टावरी सहित क्षेत्र के किसान मौजूद थे।

जल ही जीवन हैं निरीक्षण ; अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिला कलक्टर पूजा पार्थ ने अलसुबह सायला में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील व पंचायत समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएँ

देखी तथा निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर पूजा पार्थ ने बुधवार को सायला में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं पंचायत समिति कार्यालय पहुँचकर कार्यालयों के विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया तथा रिकॉर्ड की जांच कर व्यवस्थाओं को और अधिक बेहत्तर बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कार्यालय में ई-फाईल करने के साथ ही न्यायालय के प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय व पंचायत समिति कार्यालय में कार्मिकों की उपस्थिति देख विभिन्न विभागीय कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अनुपयोगी सामानों का निस्तारण करने के साथ ही साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिये जाने की बात कही। इस अवसर पर सायला उपखण्ड अधिकारी ताराचंद वैंकट, तहसीलदार हीरसिंह चारण व विकास अधिकारी गौरव विश्नोई सहित विभिन्न अधिकारी-कार्मिक उपस्थित रहे।

कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने किसानों के खेत पर दिया प्रशिक्षण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। कृषि विज्ञान केन्द्र केशवना के वैज्ञानिकों द्वारा बावतरा ग्राम में असंस्थागत प्रशिक्षण के तहत किसानों के खेत पर अनार में

कटाई-छंटाई (कैनोपी मैनेजमेंट) विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 30 अनार उत्पादक किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केन्द्र केशवना के उद्यान वैज्ञानिक डॉ. पवन कुमार पारीक ने किसानों को अनार में कटाई छंटाई एवं संधाई का उपयुक्त समय व विधि का अनार के अधिक उत्पादन में योगदान पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने किसानों को अनार के बगीचे में प्रायोगिक रूप से कटाई छंटाई का प्रशिक्षण दिया। केन्द्र के मौसम वैज्ञानिक आनन्द कुमार ने आगामी दिनों के मौसम की जानकारी के बारे में बताते हुए मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को मौसम कीट संबंध व मौसम पादप रोग संबंध के बारे में भी बताया। केन्द्र के शस्य वैज्ञानिक बिरम सिंह गुर्जर ने अनार की जैविक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी साथ ही केंचुआ खाद बनाने की विधि तथा अनार में इसकी उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों की अनार उत्पादन से संबंधित समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण किया।

जिला कलक्टर ने कुंवारती कृषि उपज मण्डी एवं खरीद केंद्रों का किया निरीक्षण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बून्दी, । जिला कलक्टर ने कृषि उपज मंडी कुंवारती एवं समर्थन मूल्य गेहूं खरीद केंद्र सीतापुरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने खरीद केन्द्र पर गेंहू लेकर आए काश्तकारों से बातचीत की तथा एफसीआई के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों को गुणवत्ता में शिथिलता प्रदान करने तथा खरीद केन्द्र पर किसान द्वारा लाई जानी जींस की खरीद करने के निर्देश दिए। साथ ही खुली आढ़त में जाकर भी आढ़तियों के साथ बोली लगाने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित मानदंड वाला गेहूं समर्थन मूल्य की दर 2400 रूपए से कम पर नहीं बिके और किसानों को समर्थन मूल्य का पूर्ण लाभ मिल सके। उन्होंने मंडी सचिव को समर्थन मूल्य केंद्र पर अतिरिक्त पंखे लगवाने के निर्देश दिए ताकि काश्तकार मौके पर अपनी फसल को साफ कर बेच सके। साथ ही मंडी के गेहूं आढ़त क्षेत्र के नजदीक वाले यार्ड को खाली करवा कर समर्थन मूल्य केंद्र को वहां पर स्थानांतरित करवाने के निर्देश दिए ताकि वह किसानों व आढ़तियों की पहुंच में रहे और एफसीआई के अधिकारी वहां पर आकर बोली में भाग ले सके। जिला कलक्टर ने खुली बोली वाले स्थान का भी निरीक्षण किया तथा आढ़तियों और काश्तकारों से बातचीत की तथा 2400 रूपए से नीचे यदि फसल बिकती है तो उसे 2400 रूपए में ही भारतीय खाद्य निगम को बेचने की बात कही। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को भी ऐसे किसानों की फसल तत्काल खरीदने के निर्देश दिए। जिन किसानों के टोकन नहीं है उनके मौके पर ही टोकन जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एफसीआई कार्मिकों ने बताया टोकन के लिए किसानों को अपनी गिरदावरी, जन आधार कार्ड और पासबुक लाने पर मौके पर ही उनके टोकन जारी कर गेहूं की तुलाई करने की बात कही। इसके बाद जिला कलक्टर ने सरसों खरीद केंद्र कुंवारती मंडी का निरीक्षण किया गया और भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित सीतापुरा खरीद केंद्र और राजफेड द्वारा संचालित तालेड़ा खरीद केंद्र का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

हीट वेव प्रबंधन के लिए जालोर उपखण्ड अधिकारी होंगे नोडल अधिकारी

जालोर। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जिले में हीट वेव के प्रबंधन के लिए जालोर उपखण्ड अधिकारी प्रमोद सीरवी को नोडल नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलक्टर पूजा पार्थ ने बताया कि राज्य में गत वर्षों से तापमान में निरंतर वृद्धि होने तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ग्रीष्म ऋतु 2024 में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है। मैदानी इलाकों में सामान्य से 4 से 8 दिनों की तुलना में विभिन्न हिस्सों में 10-20 दिन लू चलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष 2024 में हीट वेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबंधन के लिए लू एवं ताप के बचाव से आमजन के राहत के लिए आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा "गर्मी/ताप की लहर (क्या करें और क्या ना करें) तैयारी में है समझदारी" एडवाईजरी जारी की गई है तथा जालोर जिले में हीट वेव के प्रबंधन के लिए जालोर उपखण्ड अधिकारी प्रमोद सीरवी को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकन किया गया हैं जिनके मोबाईल नबर 9413961132 व दूरभाष नबर 02973-222220 है।

प्रदेश में आगामी मानसून में सघन पौधारोपण का एक्शन प्लान तैयार करें, पंचायतों के सहयोग से चारागाह विकसित करें

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज श्री अभय कुमार ने आगामी मानसून सीजन में प्रदेश में सघन पौधारोपण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव शासन सचिवालय के समिति कक्ष द्वितीय में इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले के जिला वन अधिकारी से समन्वय कर अन्य विभागों के सहयोग से 25 मई तक आवश्यक रूप से कार्ययोजना तैयार करें।

उन्होंने कहा कि विद्यालयों, कार्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक मैदान, सड़क के किनारे आदि में खाली भूमि पर स्थानीय जलवायु के अनुकूल प्लांटेशन किया जाए। इसके लिए उन्होंने सभी विभागों जैसे पंचायती राज, वन, शिक्षा ,मनरेगा, जल संसाधन, नगर निगम, हॉर्टिकल्चर, राजीविका आदि को साथ मिलकर इसे सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिए। श्री अभय कुमार ने कहा कि पौधे लगाने के साथ ही उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि न केवल पौधे लगें बल्कि पनपें भी। पौधे लगाने से पूर्व हर एक पौधे की जिओ टैगिंग, पौधरोपण स्थल की फेंसिंग, पौधों की पर्याप्त उपलब्धता एक जून से 30 जून तक सुनिश्चित करे। साथ ही सभी जिलों में एक जुलाई से 15 अगस्त तक पौधारोपण अभियान क्रियान्वित किया जाये। उन्होंने कहा कि इस अभियान में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। श्री अभय कुमार ने विशेष रूप से घास के बीज का पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए जिससे आगामी मानसून में राज्य में चारागाह विकसित हो सकें। उन्होंने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुधन है। ऐसे में पशुधन के चारे के लिए व्यापक चारागाह का होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने हर जिले को अपने घास के बीज बैंक को बढ़ाने और चारागाह को विकसित करने के निर्देश दिए जिससे नेचुरल हैबिटैट बना रहे। श्री कृष्ण कुणाल शासन सचिव स्कूल शिक्षा ने कहा कि इस अभियान में परिवारों और समाज की जोड़ने की कोशिश करें। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि नवाचार कर आमजन को पौधारोपण के लिए प्रेरित करे। हर विद्यालय के नोडल अधिकारी विद्यार्थियों को पौधा लगाने को प्रोत्साहित करें और मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड और मोबाईल एप की व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्री रवि जैन आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज ने कहा कि मरुस्थल के प्रसार को रोकने और पशुधन के संरक्षण के लिए चारागाह को बढ़ावा देना आवश्यक है। बैठक में जिला वन मंडल अधिकारी, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जल संसाधन तथा वाटरशेड के जिला स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े।

सहकारी पैक्स कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन, कुशासन से सहकारी बैंक बदहाल - आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के तारक भवन सिविल लाइंस जयपुर कार्यालय पर यूनियन चेयरमैन आर. जी. शर्मा की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया । इस दौरान बैंक कर्मियों को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के उप महासचिव, सहकारी साख समितियाँ एम्पलाइज यूनियन प्रांतीय अध्यक्ष सूरजभान सिंह आमेरा ने बताया कि राज्य में लंबे समय से कई जिलों में बड़ी संख्या में पैक्स कर्मियों को वेतन नही मिल रहा है और जमीनी काली सच्चाई से आंखे मूँदकर सहकारिता विभाग द्वारा "सहकार से समृद्धि" का जुमला अलाप हो रहा है । जबकि हकीकत में सहकारी साख आंदोलन की मुख्य इकाई पैक्स एवं लैम्पस के टुकड़े कर नई पैक्स बनाने से धीरे-धीरे पैक्स अनवायबल होकर ख़त्म हो रही है। साथ ही, सहकार नेता ने सहकारी बैंकों में व्याप्त आपाधापी, कुशासन, अकुशल प्रबंधकीय व्यवस्था, अधिनायकवाद रीति नीति व कर्मियों की भारी कमी के चलत व्याप्त परेशानियों से केंद्रीय सहकारी बैंकों व भूमी विकास बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता व मज़बूती के लिए भी सहकारी बैंक कर्मियों को सरकारी उपेक्षा, कुशासन एवं आपाधापी के खिलाफ ईमानदारी से एकजूट होकर मजबूत आंदोलन को समय की सबसे बड़ी जरुरत बताया है ।

इन्होंने किया संबोधित ; समारोह में यूनियन महासचिव महेश मिश्रा, इण्डियन बैंक से सचिव महेश शर्मा, बीओबी से रविकान्त शर्मा, पंजाब सिंध बैंक से एम. एस. भटेजा, सेंट्रल बैंक से सूरज प्रकाश, एसबीआई से बनवारी लाल आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि निजीकरण, श्रम सुधार में ट्रेड यूनियन अधिकार पर रोक के विरोध में बैंकों में नियत काम के घंटे लागू रखने, पाँच दिन का सप्ताह, महिला चाइल्ड केयर लिव, माहवारी लिव, बैंकों में क्रैच सुविधा, पेंशन व सेवा सुरक्षा के लिए यूनियन के झंडे तले संगठित व एकजुट होने का आह्वान किया । वही, अध्यक्ष आर. जी. शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित कर बैंक कर्मियों में मिष्ठान वितरित किया। इस दौरान कॉमर्शियल, सहकारी सहित ग्रामीण बैंकों से बड़ी संख्या में बैंक कर्मियों उपस्थित रहें ।

एकजूट होने का किया आह्वान

प्रांतीय अध्यक्ष आमेरा ने यूनियन के साथ एकजुट व संगठित होने का आह्वान किया, ताकि इस कमरतोड़ महंगाई में जीवन यापन और परिवार पालन के लिए 7881 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों को नियमित मासिक वेतन देने और रोज़गार सुरक्षा व सुरक्षित सेवा शर्तों के लिए सरकार व सहकारी विभाग के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की जा सकें ।

नये कारण से भर्ती में अनावश्यक विलंब

सहकार नेता सूरभानसिंह आमेरा ने समारोह में केन्द्रीय सहकारी बैंक की भर्ती पर भी तर्क रखते हुए कहा कि पिछले चार वर्षो से सहकारी बैंकों में कर्मचारियों व अधिकारियों के 1200 से ज्यादा पद रिक्त पड़े है तथा सीसीबी में कर्मचारी लगातार रिटायरमेंट हो रहे है जिससे बैंक की शाखाओं को चलाना असंभव हो रहा है, वही, यह सब कुछ पता होते हुए भी विभाग स्तर से हर बार किसी न किसी नये कारण से भर्ती में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है । साथ ही, उन्होने कहा कि सहकारी बैंकों में समयबद्ध भर्ती में विलंब व उजागर हो रहे इन मामलो के लिए जिमेदारों की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है । सरकार व विभाग की सहकारी बैंकों के प्रति उदासीनता, गैर जवाबदेही व अकुशल प्रबंधन के चलते बैंकों की स्थिति खराब हो रही है । समय-समय पर नाबार्ड व रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में ईमानदार, योग्य व पात्र अधिकारियों को एमडी लगाया जाने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होने कहा कि प्रदेश की पाली, जैसलमेर, नागौर व बीकानेर सीसीबी की स्थिति तो सबके सामने है ।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है ।
अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134

Google / Phonepay
9602473302

सदस्यता हेतु लिखें → मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा,
तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041
Mo. 9602473302, Visit Us:Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर, बुधवार, 15 मई 2024
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

सहकारी बैंकों में 2 टियर बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और बैंकों में भर्ती के लिए होगा देशव्यापी बैंक आंदोलन - आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । ऑल इण्डिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन की राष्ट्रीय जनरल कौंसिल की दो दिवसीय बैठक 9 एवं 10 मई को केरल राज्य की कोच्चि सीटी में आयोजित हुई । जिसमें एआईबीईए के राष्ट्रीय महासचिव सीएच वेंकटचलम ने बैंकिंग सेक्टर की स्थिति, हालात, सरकार की रीति नीति व बैठक एजेंडा पर विस्तार से संबोधित किया, जिस पर देशभर से आए प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की गई । इस संबंध में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के उप महासचिव एवं बैंक कर्मचारी नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने बताया कि

एआईबीईए की दो दिवसीय राष्ट्रीय जनरल कौंसिल बैठक सपन्न

एआईबीईए की राष्ट्रीय बैठक में दो दिन की गंभीर चर्चा के बाद ग्रामीण व सहकारी बैंकों में लंबित द्वि-पक्षिय वेतन समझौता लागू करने, समस्त बैंकों में रिक्त पड़े 2 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने, सहकारी बैंकों में 2 टियर बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, सहकारी बैंकों को पुनर्पूजीकरण सहायता जारी करने, सहकारी बैंकों में ओपीएस पेंशन लागू करने, सहकारी बैंकों को आर्थिक सक्षम बनाने व अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करने, ग्रामीण बैंकों को स्पॉन्सर बैंक में मिलाने, बैंक निजीकरण रोकने, स्थायी रेगुलर बैंक काम की आउटसोर्सिंग बंद करने, बैंकों में एजेंसी से लिए अस्थायी कर्मचारी, बीसी डेली डिपॉजिटर, गार्ड को नियमित कर समुचित वेतनमान व सेवा सुरक्षा देने, नैनीताल बैंक को बीओबी में मिलाने व सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीकरण करने, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हो रहे हमले का विरोध के लिए प्रस्ताव पारित किये गये । **325 प्रतिनिधियों ने लिया भाग** राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के उप महासचिव एवं बैंक कर्मचारी नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि देश के सभी राज्यो से कॉमर्शियल, सहकारी, ग्रामीण, निजी बैंकों से चुनिंदा 325 बैंककर्मी नेता, युवा व महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया । वही, राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाईज यूनियन की ओर से आर जी शर्मा, महेश शर्मा, रवि वर्मा, जयन्त परिहार, रवीदीप चतुर्वेदी, नरपत गहलोत, ललित गुसा व मेघा मलिक शामिल हुए ।

आंदोलन व हड़ताल का निर्णय

बैंक कर्मचारी नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने बताया कि सभी बैंकों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदो पर भर्ती करने, सरकार की बैंक निजीकरण की रीति-नीति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर लोकसभा चुनाव बाद देशव्यापी बैंक आंदोलन व हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है।

सहकारी समितियों की ऑडिट हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करें ऑडिटर नियुक्ति का प्रस्ताव

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

चूरू,। जिले की कुल 362 सहकारी समितियों की वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिट हेतु ऑडिटर नियुक्ति का प्रस्ताव पोर्टल पर 31 मई, 2024 तक ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा गया है। स्पेशल ऑडिटर निशा ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जिले की 233 ग्राम सहकारी समितियों सहित कुल 362 सहकारी समितियों की ऑडिट करवाने के लिए सहकारी विभाग द्वारा अधिकृत पैनल में से सीए या विभागीय निरीक्षक का प्रस्ताव लेकर 31 मई, 2024 तक पोर्टल पर सूचना अपलोड करनी होगी। किसी समिति द्वारा 31 मई, 2024 तक पैनल की रिपोर्ट अपलोड नहीं किए जाने पर रजिस्ट्रार द्वारा 30 जून, 2024 तक अपने स्तर पर ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी।

बैंक के वार्षिक बजट के संबंध में चर्चा

जिला कलक्टर ने किया केन्द्रीय सहकारी बैंक का निरीक्षण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सवाई माधोपुर,। बैंक प्रशासक एवं जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक आलोक कुमार जैन एवं प्रबन्धक सुभाष चन्द बबेरवाल की उपस्थिति में बैंक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बैंक परिसर में नियमित रूप से साफ-सफाई करवाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला कलक्टर ने बैंक के वार्षिक बजट के संबंध में चर्चा कर वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट 4964 लाख रूपए के विरूद्ध वास्तविक व्यय खर्च 4841.71 लाख रूपए का बजट स्वीकृत किया। इसके साथ ही उन्होंने बैंक के लिए 85 लाख रूपए का पूंजीगत बजट भी स्वीकृत किया।

जालोर नागरिक बैंक ने उल्लेखनीय व्यवसाय वृद्धि की - जोगेश्वर गर्ग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर. जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा वितीय वर्ष 2023-24 के परिणामों में नवीन कीर्तिमान स्थापित करने के उपलक्ष्य में बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वार्षिक सम्मान समारोह अभ्युदय 2024 5 मई को कतरोसन स्थित होटल सवेरा में राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक एवं जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आथित्य में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि जोगेश्वर गर्ग ने बताया कि जालोर नागरिक सहकारी बैंक केवल शुद्ध व्यवसाय करती हैं तथा मैं इसके साथ बैंक स्थापना काल से जुड़ा हुआ हैं। बैंक का संचालक मण्डल बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के योग्यता के आधार पर निर्वाचित होता हैं, यही इस बैंक की ताकत हैं। बैंक के सभी कार्मिक पूर्ण निष्ठा एवं लग्न के साथ ग्राहक सेवा हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने बैंक के

उत्तरोतर प्रगति हेतु शुभकामनाएँ व्यक्त की। बैंक शाखा विस्तार का रोडमेप प्रस्तुत करते हुए बैंक अध्यक्ष मोहन पाराशर द्वारा बताया कि शीघ्र ही बैंक की 4 नवीन शाखाएं जसवन्तपुरा, बडगांव, बालोतरा एवं सुमेरपुर केन्द्र पर खोली जाएगी।

बैंक का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान में विस्तारित करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हो चुका हैं। बैंक के नवीन भवन का निर्माण कार्य जारी हैं तथा अतिशीघ्र बैंक का संचालन नवीन भवन में किया जायेगा। पाराशर द्वारा बैंक कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 में नवीन कीर्तिमान स्थापित किये जाने हेतु संकल्पित कराया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 260.00 करोड़ के व्यवसाय वृद्धि का लक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर समस्त स्टॉफ द्वारा हर्ष ध्वनी से सहमति व्यक्त की एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु पुरजोर मेहनत करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर बैंक के उपाध्यक्ष ललित कुमार दवे द्वारा ग्राहक संतुष्टि पर बल देते हुए कर्मचारियों को बैंक की प्रगति हेतु एकजुट होकर कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमानन्द भट्ट द्वारा बैंक की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि दिनांक 31 मार्च 2024 को बैंक का कुल व्यवसाय 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 625.00 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया हैं।

बैंक का शुद्ध एनपीए 0 प्रतिशत एवं सकल लाभ 10.03 करोड़ रहा है। कोटा से आए विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर योगेश चण्डक द्वारा बैंक की प्रगति हेतु विभिन्न प्रयोगों तथा प्रेरणात्मक विचारों से समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों में नई सोच व उर्जा से संगठनात्मक रूप से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। समारोह में बैंक के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके द्वारा बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये उत्कृष्ट / श्रेष्ठ / उल्लेखनीय कार्य हेतु स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कान्तिलाल भण्डारी, भूतपूर्व अध्यक्ष नितिन सोंलकी, बैंक के संस्थापक अध्यक्ष मदनराज बोहरा, पी0एल0 सोनगरा ने भी अपने विचार व्यक्त किये गये।

उक्त कार्यक्रम में बैंक संचालक मण्डल के सदस्य मोहनलाल परमार (सांचोर), गणेशराम मीणा, उषा कुमावत, श्यामलाल बोहरा, कनीष चौधरी, दिनेश परमार, मोहनलाल परमार (जालोर), सहवृत संचालक हेमताराम प्रजापत, **BOM** सदस्य हरीश माहेश्वरी एवं भूतपूर्व संचलाक नारायणलाल भट्ट तथा बैंक की समस्त शाखाओं एवं विभागों के अधिकारी/कर्मचारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समारोह का संचालन पोसाराम प्रजापत एवं देवेन्द्र त्रिवेदी द्वारा किया गया।

निर्धारित समय में पोर्टल पर सूचना अपलोड करें

सिरोही,। खान एवं भू विज्ञान विभाग के खनिज अभियंता महेश शर्मा ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ओ.ए. 142/2022 की पालना में एमओईएफ एण्ड सीसी नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 28.04.2023 द्वारा दिनांक 15.01.2016 से 13.09.2018 तक डीईआईएए से जारी ई.सी. को एसईआईएए से रिएप्रेजल एक वर्ष की अवधि में करवाने के निर्देश प्राप्त हुए तथा एमओईएफ एण्ड सीसी नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 15.03.2024 द्वारा उक्त समयावधि को दिनांक 27.10.2024 तक बढ़ाया गया, उक्त समयावधि में डीईआईएए से जारी खनन पट्टों/क्वारी लाईसेंसों की ई.सी. को एसईआईएए से रिएप्रेजल नही कराने की अवस्था में खनन पट्टों/क्वारी लाईसेंस क्षेत्रों में खनन कार्य बन्द करना होगा।

10 लाख का क्लेम स्वीकृत कर किया लाभान्वित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सवाई माधोपुर,। बैंक द्वारा पीपलदा ग्राम सेवा सहकारी समिति, शाखा बौली के ऋणी सदस्य सत्यनारायण चौपदार की सडक दुर्घटना में मृत्यु गयी थी। प्रबन्ध निदेशक ओ.पी. जैन ने बताया कि मृतक सत्यनारायण चौपदार ने केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर संबद्ध पीपलदा ग्राम सेवा सहकारी समिति से अल्पकालीन फसली ऋण लिया था।

जिसके सुरक्षा में बैंक में लागू राजस्थान सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत मृतक सदस्य की दुर्घटना बीमा मात्र 343.97 रूपये प्रीमियम राशि से करवाया गया था। उन्होंने बताया कि सत्यनारायण चौपदार की सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम दायर किया गया था। जिसके फलस्वरूप मृतक सदस्य की नॉमिनी उनकी पत्नी विमला देवी निवासी पीपलदा के खाते में 10 लाख रूपए का क्लेम स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया। उन्होंने आमजन को सूचित किया है कि सहकारी बैंक एवं बैंक से संबंध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यों का ऋणी की सहमति पर बैंक में लागू योजनान्तर्गत न्यूनतम राशि पर 18 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु वाले सदस्यों का दुर्घटना बीमा करवाया जाता है।

जिला सहकारी विकास समिति की बैठक सपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बूंदी,। जिला सहकारी विकास समिति की बैठक जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें पैक्स को बहुउद्देशीय एवं सशक्त बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्राथमिक ऋण समिति (पैक्स) को बहुउद्देशीय बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए उपविधियां पंजीकृत से शेष रही एक समिति के प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राथमिक ऋण समिति में ई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कॉमन सेवा के लिए ऑनबोर्ड से शेष पैक्स को एक्टिव करवाया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि करवर, सीतापुरा, बडानयागाव, हट्टीपुरा व बंरूधन में अन्न भंडारण क्षमता के विकास हेतु 1000 मेट्रिक टन क्षमता के वेयरहाउस निर्माण के लिए भूमि आवंटन करवाया जावे।

उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाइयों की पहुंच के लिए जन औषधि केन्द्र के रूप में जिले की पांच पैक्स नमाना, खटकड़, करवर, सुवासा, झालीजी का बराना का चयन किया गया है, इन स्थानों पर जन औषधि केन्द्र की स्थापना करवाई जावें।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर घनश्याम शर्मा, सीईओ दुर्गाशंकर मीणा, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नरेश शुक्ला, कोटा डेयरी संघ प्रतिनिधि दिनेश दुबे, डीडीएम नाबार्ड राजकुमार, वरिष्ठ प्रबंधक सीसीबी मोहनलाल जाट, निरीक्षक उप रजिस्ट्रार अनिल राजन आदि मौजूद रहे।

चांदसमा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चांदसमा

किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

देय तिथि पर अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा कर डिफॉल्टर होने से बचें और सीजनली ब्याज मुक्त सहकारी ऋण प्राप्त करने के पात्र बनें

सवाईसिंह राठौड़
अध्यक्ष

देवीसिंह राठौड़
व्यवस्थापक

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

सदस्यों एवं किसानों से अपील

साख सीमा का नवीनीकरण 30 जून तक किया जा रहा हैं । साख सीमा नवीनीकरण का आवेदन पत्र समिति से प्राप्त कर उसमें KYC संबंधित दस्तावेज यथा जमाबंदी, आधार कार्ड, मोबाइल नबर, परिचय पत्र, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि संलग्न करके समिति पर जमा करवाएं

फाइल डिस्पोजल में लग रहा ज्यादा समय अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे ऑफिस

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। सहकारिता के अधीनस्थ कार्यालयों में ऑनलाइन फाइल डिस्पोजल में अन्य विभागों की तुलना में ज्यादा समय लग रहा है। साथ ही अधिकारी व कर्मचारी भी निर्धारित समय में ऑफिस नहीं आ रहे हैं। सहकारिता रजिस्ट्रार अर्चना सिंह ने इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र लिखकर व्यवस्थाओं में सुधार लाने को कहा है। रजिस्ट्रार ने पत्र में लिखा है कि 15 अप्रैल को मुख्य सचिव की ओर से कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर तथा तिलम संघ एवं कॉनफैड कार्यालय का निरीक्षण किया गया। मुख्य सचिव की ओर से कार्यालय को निरीक्षण के दौरान राजकाज पर औसत पत्रावली निस्तारण समय बहुत ज्यादा प्रदर्शित होने एवं कार्यालय में कार्मिकों के समय पर नहीं आने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा शासन सचिव के समय-समय पर विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के बावजूद राजकाज पोर्टल पर औसत पत्रावली निस्तारण (स्वरेज डिस्पोजल टाइम) अधिक पाया जाना एवं कार्मिकों अधिकारियों का समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होना अत्यंत असंतोषप्रद है। ऐसे में निर्देशित किया जाता है कि समस्त परफॉक्शनल अधिकारी अपने अनुभाग की औसत पत्रावली निस्तारण समय की साप्ताहिक समीक्षा करेगें तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपके अधीनस्थ अधिकारी/कार्मिक निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहे।

राज सहकार पोर्टल पर ऑडिट प्रस्ताव 31 मई तक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

उदयपुर, । उदयपुर संभाग की सहकारी संस्थाओं के वैधानिक अंकेक्षण हेतु सहकारिता विभाग द्वारा ऑडिट वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिट प्रस्ताव राजसहकार पोर्टल पर 31 मई तक अपलोड किए जा सकेंगे।

सहकारी समितियाँ उदयपुर खण्ड क्षेत्रीय के अंकेक्षण अधिकारी सौरभ शर्मा ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2001 के नियम 2003 के नियम 73(4) के प्रावधानुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी आगामी वित्तीय वर्ष के मई मास के अन्त यथा 31 मई तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अन्तिम लेखों की लेखा परीक्षा के लिए किसी लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त कर सकेगी, इस हेतु प्रस्ताव संचालक मण्डल की बैठक में लिया ई-मेल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जावेंगे। जाएगा तथा ऑडिट हेतु दिए जाने वाले ऑडिट पारिश्रमिक का विवरण भी देना होगा। वर्तमान वर्ष 2024 में जो भी संस्थाएं ऑडिट हेतु प्रस्ताव ले चुकी है राज सहकार पोर्टल पर प्रस्तावों को मय हस्ताक्षर अपलोड करें। इसके पश्चात् सहकारी समितियों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे और विभाग द्वारा आवंटन कर दिया जाएगा।

राहत ; जूसरी ग्राम सेवा सहकारी समिति का मामला, समिति के कुछ सदस्यों ने निलंबन को गलत बता उप रजिस्ट्रार से की थी शिकायत

जीएसएस व्यवस्थापक के निलंबन को कोर्ट ने अवैध माना

30 मार्च को किया गया था निलंबन, हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नागौर । मकराना उपखण्ड क्षेत्र के जूसरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के चार्ज को लेकर एक साल से चल रही गहमागहमी के बीच उच्च न्यायालय जोधपुर ने को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए निलंबित किए गए जीएसएस व्यवस्थापक अजय कुमार शर्मा के निलंबन पर रोक लगा दी है। इसी प्रकार उनके स्थान पर लाडोली जीएसएस - के व्यवस्थापक शैतान सिंह को मिले अतिरिक्त चार्ज पर भी रोक लगाई है। मामले के अनुसार जीएसएस अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपुरोहित ने अपने - पक्ष के कुछ सदस्य लेकर व्यवस्थापक अजय - कुमार को अप्रैल 2023 में प्रस्ताव लेकर निलंबित किया था। जिसपर समिति के कुछ सदस्यों ने - निलंबन को गलत बताते हुए सहकारी समितियां नागौर के उप रजिस्ट्रार नागौर को शिकायत की।

डीआर नागौर ने उस प्रस्ताव को अपखण्डन करते हुए अजय कुमार को बहाल कर दिया। साथ ही प्रकरण में अजय कुमार पर लगाए गए आरोप के संबन्ध में जांच अधिकारी नियुक्त किया। उस जांच के दौरान ही अजय कुमार को अध्यक्ष प्रेम सिंह ने डीआर के आदेश को दरकिनार करते हुए 30 मार्च 2024 में पुन: निलंबित कर दिया जिस पर अजय कुमार ने उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण ली। अजय कुमार की ओर से अधिवक्ता एनआर बुडानिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्यायालय को बताया कि याची को व्यक्तिगत द्वेष भावना से निलंबित किया गया है। याची अजय कुमार द्वारा किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल 2024 को डीआर नागौर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे।

गबन साबित नहीं होने से राहत मिली

जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पुन: 10 मई को सुनवाई हुई जिस पर माननीय न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर माना कि जांच रिपोर्ट के अनुसार याची अजय कुमार के विरूद्ध किसी भी तरह का गबन करना साबित नहीं हुआ है तथा याची को अध्यक्ष द्वारा द्वेष भावना से निलंबित किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने व्यवस्थापक अजय कुमार के निलंबन पर रोक लगाने के आदेश पारित किए है। साथ ही हाईकोर्ट ने लाडोली ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक शैतान सिंह को मिले जूसरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अतिरिक्त चार्ज पर भी रोक लगा दी है।

अध्यक्ष ने 1 माह पहले व्यवस्थापक अजय के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था

जूसरी ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपुरोहित और अतिरिक्त चार्ज लेने वाले लाडोली जीएसएस के व्यवस्थापक शैतान सिंह राजपूत ने अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह में निलंबित व्यवस्थापक अजय कुमार के खिलाफ पुलिस थाना मकराना में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया कि अजय कुमार के निलंबन के बाद लाडोली व्यवस्थापक शैतान सिंह को समिति का चार्ज दिया गया। लेकिन पूर्व व्यवस्थापक अजय कुमार ने उन्हें पूर्व का कोई भी रिकॉर्ड व सामान सुपुर्द नहीं किए। वर्तमान में लाडोली के व्यवस्थापक के पास जूसरी जीएसएस का प्रभार है परंतु रेकॉर्ड के अभाव में कामकाज नहीं हो पा रहा है।

रतनपुरा सहकारी समिति ने 10 लाख के 8 कृषि यंत्र खरीदे, किसानों को मिली राहत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

श्रीगंगानगर । इन दिनों किसान खरीफ फसल कि जुताई बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। लघु सीमांत काश्तकार मंहगी दर पर कृषि यंत्र किराये पर लाने को मजबूर हैं। ऐसे में रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने 10 लाख रुपए कीमत के 8 प्रकार के नये कृषि यंत्रों की खरीद की है। जिनसे किसानों को खेती किसानी कार्य कम दर पर करने की सुविधा दी जा रही है। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष जेपी सिद्ध व व्यवस्थापक अनिल भादू ने बताया की क्षेत्र में 80 प्रतिशत लघु सीमांत किसान हैं। जुताई बुवाई के समय कई किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं पाता। लघु सीमांत काश्तकारों के लिए महंगे कृषि यंत्र खरीदना कर्ज के बोझ तले दबने जैसा है।समिति में कृषि यंत्र रोटावेटर, तोता हल, प्लो (प्लाउ), डोली करावा, सीडकम फर्टीलाइजर बिजाई मशीन, बीटी फर्टीलाइजर, जिंदरी जैसे कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जो किसानों को खेती लिए किराये पर दिए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि काफी कम दर पर कृषि यंत्र प्रति घंटा दिहाड़ी के रूप में मिलने से काफी राहत मिली है। इससे ग्राम सेवा सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यवस्थापक अनिल भादू ने बताया की किसान खेती के उपयोग को लिए कृषि यंत्र बुक करवाकर दिहाड़ी व प्रति घंटा की दर से आसानी से ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया की रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के साथ साथ रिड़मलसर जीएसएस में भी कृषि् यंत्र उपल ध हैं। गांव रतनपुर सहित गांव 71, 72, 73, 74, 77, 78 एलएनपी सहित अन्य गांवों के किसानों को रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नये कृषि् यंत्रों का लाभ होगा।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।